

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श0) (सं0 पटना 556) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं 29 जून 2017

अधिसूचना संख्या 13/2017-राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰ 89 दिनांक 29 जून 2017— बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित सेवाओं की आपूर्ति के प्रवर्गों पर, जिनकी आपूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, उक्त बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, की धारा 9 के अधीन उद्गृहणीय संपूर्ण राज्य कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर किया जाएगा :--

सारणी

क्र.सं.	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का	सेवा का प्राप्तिकर्ता
		पूर्तिकार	
)1()2()3()4(
1	किसी माल परिवहन अभिकरण	माल परिवहन	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित,
	द्वारा माल के सड़क द्वारा (जीटीए) लिखित को परिवहन की बाबत निम्न - सेवाओं की पूर्ति	अभिकरण (जीटीए)	कारखाना अधिनियम (क), 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या
	कारखाना अधिनियम (क), 1948 (63 का 1948) के अधीन या उसके		भारत के किसी भाग में सोसाइटी (ख)

2

द्वारा किसी भी कारखाने को; या भारत के किसी भाग में (ख) सोसाइटीरजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(21 का 1860) या तत्समय

प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या

किसी विधि द्वारा या उसके (ग) पित किसी भी सहकारी अधीन स्था सोसाइटी को; या

कंद्रीय माल और सेवा कर (घ) एकीकृत माल और /अधिनियम बिहार माल /सेवा कर अधिनियम संघ /और सेवा कर अधिनियम क्षेत्र माल और सेवा कर के राज्य कृत किसी भी अधीन रजिस्ट्री कोक्तित्व्य; या

किसी विधि द्वारा या उसके (.ड) पित किसी भी निगमित अधीन स्था निकाय को; या

)चिकसी विधि के अधीन किसी (भी भागीदारी फर्म को, चाहे रिजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है ; या

क कराधेय कोई आकस्मि (छ) ।क्तिव्य करण अधिनियमरजिस्ट्री, 1860 (1860 21 का) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या

किसी विधि द्वारा या उसके (ग) पित किसी भी सहकारी अधीन स्था सोसाइटी को; या

केंद्रीय माल और सेवा कर (घ)
एकीकृत माल और सेवा /अधिनियम
बिहार माल और सेवा /कर अधिनियम
क्षेत्र माल संघ राज्य /कर अधिनियम
कृत और सेवा कर के अधीन रजिस्ट्री
कोक्तिकसी भी व्य; या

)डिकिसी विधि द्वारा या उसके (. पित किसी भी निगमित अधीन स्था निकाय को; या

किसी विधि के अधीन किसी भी (च) भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है; या

। क्तिक कराधेय व्यकोई आकस्मि (छ)

किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, दवारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेत्

कोई व्यष्टिक अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म

कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार अस्तित्व।

	26		
	अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा		
	प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के		
3	माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।	_\(C	
3	किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा	कोई	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
	किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित 	माध्यस्थम्	कारबार अस्तित्व ।
	सेवाएं ।	अधिकरण	
4	किसी भी निगमित निकाय या	•	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थितकोई
	भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप	व्यक्ति	निगमित निकाय या भागीदारी फर्म ।
	में दी गई सेवाएं।		
5	किसी कारबार अस्तित्व को केंद्रीय	केंद्रीय	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
	सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र	सरकार,	कारबार अस्तित्व ।
	या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित	राज्य	
	सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित	सरकार, संघ	
	नहीं हैं,-	राज्यक्षेत्र या	
	(1) स्थावर संपत्ति को किराए	स्थानीय	
	पर देना ; और	प्राधिकरण	
	(2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं-		
	(i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल		
	पोस्ट, जीवन बीमा और		
	अभिकरण सेवाओं के रूप में		
	डाक विभाग द्वारा केंद्रीय		
	सरकार, राज्य सरकार, संघ		
	राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न		
	किसी व्यक्ति को दी गई		
	सेवाएं ;		
	(ii) किसी पत्तन या किसी		
	विमानपत्तन की प्रसीमाओं के		
	भीतर या बाहर किसी वायुयान		
	या जलयान के संबंध में सेवाएं		
	;		
	(iii) माल या यात्रियों का		
	परिवहन।		
6	किसी कंपनी या किसी निगमित	किसी कंपनी	
	निकाय के निदेशक द्वारा उक्त कंपनी	या किसी	कंपनी या निगमित निकाय ।
	या निगमित निकाय को पूर्तित सेवाएं।	निगमित	
		निकाय का	
		कोई निदेशक	
7	किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा	कोई बीमा	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई

	कारबार करने वाले किसी व्यक्ति को	अभिकर्ता	व्यक्ति, जो बीमा कारबार कर रहा है।
	पूर्तित सेवाएं ।		
8	किसी वसूली अभिकर्ता द्वारा किसी	कोई वसूली	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थितकोई
	बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय	अभिकर्ता	बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था या
	संस्था या किसी गैरय बैंककारी वित्ती-		गैर य कंपनी ।बैंककारी वित्ती-
	कंपनी को पूर्तित सेवाएं ।		
9	किसी लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर,	लेखक,	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित
	कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	संगीतकार,	कोईप्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और
	द्वारा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,	फोटोग्राफर,	उसी प्रकार के अन्य ।
) की उपधारा 13 की धारा 1957 1 के (कलाकार और	
	के अंतर्गत आने वाले मूल (क) खंड	उसी प्रकार	
	कसाहित्यि, नाट्य, संगीत संबंधी या	के अन्य	
	कला संबंधी कार्यों से संबंधित		
	प्रतिलिप्यधिकार का किसी प्रकाशक,		
	संगीत कंपनी, निर्माता और उसी प्रकार		
	के अन्य द्वारा उपयोग या उपभोग का		
	अंतरण करने या उसकी अनुज्ञा देने के		
	रूप में सेवाओं की पूर्ति।		

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

- (क) कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित माल वाहक में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए किराए का संदाय करने का दायी है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सेवा प्राप्त करता है ।
- (ख) "निगमित निकाय" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में उसका है।
- (ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो यथास्थिति, मुकदमेबाज, आवेदक या याची है, ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है।
- (घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं हैं, किंतु केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में उनका है।
 - 2. यह अधिसूचना 1 ज्लाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी I

[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-13)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 90, एस०ओ० 89 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-13)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 29th June 2017 Notification No. 13/2017-State Tax (Rate)

S.O. 89, dated 29th June 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar on the recommendations of the Council hereby notifies that on categories of supply of services mentioned in column (2) of the Table below, supplied by a person as specified in column (3) of the said Table, the whole of State tax leviable under section 9 of the said Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the services as specified in column (4) of the said Table:-

Table

Sl.	Category of Supply of Services	Supplier of	Recipient of Service
No.		service	_
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Supply of Services by a goods transport agency (GTA) in respect of transportation of goods by road to- (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any co-operative society established by or under any law; or (d) any person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the Bihar Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or (e) any body corporate established, by or under any law; or (f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; or (g) any casual taxable person.	Goods Transport Agency (GTA)	(a) Any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any co-operative society established by or under any law; or (d) any person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the Bihar Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or (e) any body corporate established, by or under any law; or (f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; or (g) any casual taxable person; located in the taxable territory.
2	Services supplied by an individual	An individual	Any business entity located in the
	advocate including a senior advocate	advocate	taxable territory.

Sl. No.	Category of Supply of Services	Supplier of service	Recipient of Service
(1)	(2)	(3)	(4)
	by way of representational services	including a	
	before any court, tribunal or	senior	
	authority, directly or indirectly, to	advocate or	
	any business entity located in the	firm of	
	taxable territory, including where contract for provision of such service	advocates.	
	has been entered through another		
	advocate or a firm of advocates by		
	way of legal services, directly or		
	indirectly, to a business entity.		
3	Services supplied by an arbitral	An arbitral	Any business entity located in the
	tribunal to a business entity.	tribunal.	taxable territory.
4	Services provided by way of	Any person	Any body corporate or partnership
	sponsorship to any body corporate or		firm located in the taxable territory.
	partnership firm.		
5	Services supplied by the Central	Central	Any business entity located in the
	Government, State Government,	Government,	taxable territory.
	Union territory or local authority to a business entity excluding, -	State Government,	
	(1) renting of immovable property,	Union	
	and	territory or	
	(2) services specified below-	local authority	
	(i) services by the Department of		
	Posts by way of speed post, express		
	parcel post, life insurance, and		
	agency services provided to a person		
	other than Central Government, State		
	Government or Union territory or		
	local authority;		
	(ii) services in relation to an aircraft or a vessel, inside or outside the		
	precincts of a port or an airport;		
	(iii) transport of goods or		
	passengers.		
6	Services supplied by a director of a	A director of a	The company or a body corporate
	company or a body corporate to the	company or a	located in the taxable territory.
	said company or the body corporate.	body	
		corporate	
7	Services supplied by an insurance	An insurance	Any person carrying on insurance
	agent to any person carrying on	agent	business, located in the taxable
0	insurance business.	A magazzamz	territory.
8	Services supplied by a recovery agent to a banking company or a financial	A recovery	A banking company or a financial institution or a non-banking financial
	institution or a non-banking financial	agent	company, located in the taxable
	company.		territory.
9	Supply of services by an author,	Author or	Publisher, music company, producer
	music composer, photographer, artist	music	or the like, located in the taxable
	or the like by way of transfer or	composer,	territory.
	permitting the use or enjoyment of a	photographer,	
	copyright covered under clause (a) of	artist, or the	
	sub-section (1) of section 13 of the	like	

Sl. No.	Category of Supply of Services	Supplier of service	Recipient of Service
(1)	(2)	(3)	(4)
	Copyright Act, 1957 relating to original literary, dramatic, musical or artistic works to a publisher, music company, producer or the like.		

Explanation.- For purpose of this notification,-

- (a) The person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage, located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the service for the purpose of this notification.
- (b) "Body Corporate" has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013.
- (c) the business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner, as the case may be, shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification.
- (d) the words and expressions used and not defined in this notification but defined in the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and the Union Territory Goods and Services Tax Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017-13)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)556-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in